



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

27 फाल्गुन 1942 (श0)
(सं0 पटना 179) पटना, बृहस्पतिवार 18 मार्च 2021

l puk ,o tu&I Eidi foHkx

vf/k l puk
18 मार्च 2021

सं0 विज्ञा0(04)01-03 / 2020-79 / सू0ज0स0वि0—बिहार विज्ञापन नियमावली-2016 की कंडिका-7(IV) i जो निम्नवत् है :-

“ऐसी प्रचलित इन्टरनेट वेबसाइट्स/सोशल मीडिया जो डी0ए0वी0पी0 में सूचीबद्ध हैं या जिन्हें विभागीय दर प्राप्त है एवं जो समाचार, सामयिक घटनाओं और सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक व व्यावसायिक विषयों एवं घटनाओं का प्रसारण करते हों, सरकारी विज्ञापन पाने के योग्य होंगे। परंतु उन्हें विज्ञापन दिया ही जाय, ऐसी कोई बाध्यता सूचना एवं जन-सम्पर्क विभाग की नहीं होगी।”

उसे निम्नरूपेण प्रतिस्थापित किया जाता है :-

“ऐसी प्रचलित इन्टरनेट वेबसाइट्स/सोशल मीडिया जो डी0ए0वी0पी0 में सूचीबद्ध हैं या जिन्हें विभागीय दर प्राप्त है एवं जो समाचार, सामयिक घटनाओं और सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक व व्यावसायिक विषयों एवं घटनाओं का प्रसारण करते हों, सरकारी विज्ञापन पाने के योग्य होंगे। परंतु उन्हें विज्ञापन दिया ही जाय, ऐसी कोई बाध्यता सूचना एवं जन-सम्पर्क विभाग की नहीं होगी। साथ ही ऐसी वेबमीडिया/इंटरनेट वेबसाइट्स जो डी0ए0वी0पी0 में सूचीबद्ध नहीं हैं, लेकिन स्थानीय स्तर पर समाचार/सामयिक घटनाओं आदि के प्रसारण में काफी सक्रिय हैं, उन्हें विज्ञापन हेतु सूचीबद्ध करने के लिए विभाग अलग से नीति/नियमावली बना सकता है।”

fcgkj&jkT;iky di vkn'k l j

अनुपम कुमार,

l jdkj di l fpoA

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 179-571+10 डी0टी0पी0।
Website: <http://egazette.bih.nic.in>